पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण : 181/2017

अनवान

1. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री निकुराम जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 2 एमडीआर के खाता सं0 91/85 के मु0नं0 37 के किला नं0 7 ता 9, 11 ता 14, 17 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 38 के किला नं0 12 ता 19, 22 ता 25 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 42 के किला नं0 2 ता 4 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 7.5900 है0 में से नहरी 7.5150 है0 खाला 0.0750 है0 नहरी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के बजाय वादी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.4.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण : 181/2017

अनवान

1. सुभाषचन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री निकुराम जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : वादी

निर्णय **दिनांक :** 19.4.18

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 2 एमडीआर के खाता सं0 91/85 के मु0नं0 37 के किला नं0 7 ता 9, 11 ता 14, 17 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 38 के किला नं0 12 ता 19, 22 ता 25 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 42 के किला नं0 2 ता 4 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 7.5900 है0 में से नहरी 7.5150 है0 खाला 0.0750 है0 नहरी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है।

उपर वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को विरासतन में प्राप्त हुई है उपर वर्णित कृषि भूमि में वादी का भी प्रतिवादी सं0 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा निहित है, चूंकि प्रतिवादी सं0 1 परिवार का कर्ता खानदान होने के नाते उपर वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 अकेले के नाम हो गयी। उपर वर्णित कृषि भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की सहदायगी सम्पत्ति है इसलिए वादी का प्रतिवादी के साथ हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 दोनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है यानि वादी 1/4 एवं प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने के उपरान्त प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 2 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

साक्ष्य वादी में वादी सुभाषचन्द्र के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य फोटो प्रति जमाबन्दी चक 2एसडीआर खाता सं0 91/85 सम्वत् 2071–74 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 2 एसडीआर सम्वत् 2059 से 62 प्रदर्श 2, सत्य फोटो प्रति जमाबन्दी चक 8 एसडीआर खाता सं0 14/16 सम्वत् 2070–73 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को विरासतन प्राप्त हुई है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 2 एसडीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि हेतु जो सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 2 एसडीआर सम्वत् 2059 से 62 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है उसमें कृषि भूमि वादी के दादा निकू पि0मु0 भूरा के नाम दर्ज है जिससे विवादित कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र में ओमप्रकाश के मौजूदा वारिसान में पत्नि ओमकला व एक पुत्र सुभाषचन्द्र होना अंकित किया है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 2 एमडीआर के खाता सं0 91/85 के मु0नं0 37 के किला नं0 7 ता 9, 11 ता 14, 17 ता 24 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 38 के किला नं0 12 ता 19, 22 ता 25 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 42 के किला नं0 2 ता 4 प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 7.5900 है0 में से नहरी 7.5150 है0 खाला 0.0750 है0 नहरी खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के बजाय वादी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। यदि विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.4.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ